न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 93/2024 विविध
निर्णय दिनांक:– 12.09.2024
बइजलास:– राकेश कुमार ।। (आर0ए0एस0)

उनवान

1. तुलसी शर्मा पत्नि हनुमान सहाय जाति बारांगाव ब्रहाम्ण निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू

प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान
2. भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह दत्तक पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला दूदू

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता:– श्री विनोद कुमार जैन वकील प्रार्थी
श्री दिलीप सिंह नरूका वकील अप्रार्थी सं. 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्त बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय **दिनांक:– 12.09.2024**

अपील प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2218 शा. न 2219 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की भूमि वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी, उक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 02 ने 2 बीघा भूमि प्रार्थीया को विक्रय कर दी जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई उसके पश्चात प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 02 के मध्य आपसी सहमति से उक्त भूमि का विभाजन हो गया तथा उक्त सहमति विभाजन कमांक कैम्प 2017/32 दिनाक 01.06.2017 की पालना में नामान्तकरण संख्या 2573 खोला गया जिसके तहत खसरा नम्बर 2218 शा. न 2219/2 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में सहमति विभाजन के तहत दर्ज की गई एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 2218 शा. न 2219/1 रकबा 2 बीघा प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज की गई। उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 2573 के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 02 के नाम खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये लेकिन सहवन से खसरा नम्बर 2218 शा.

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

न 2219/2 की खातेदारी की जगह अप्रार्थी संख्या 2 के नाम 2218 शा. न 2219/1 की खातेदारी दर्ज कर दी गई जबकि खसरा नम्बर 2218 शा. न 2219/1 की खातेदारी आपसी विभाजन से नामान्तकरण संख्या 2573 के आधार पर प्रार्थीया के नाम दर्ज की जानी चाहिये जो काबिले सहवन से जमाबन्दी में दर्ज होने से दुरस्ते किये जाने योग्य है। उपरोक्त अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 02 के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिये लेकिन वर्तमान में दर्ज खातेदारी खाता संख्या 800 में प्रार्थीया के नाम खसरा नम्बर 2218/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर दर्ज कर दी गई जबकि आपसी सहमति के विभाजन नामान्तकरण संख्या 2573 के अनुसार प्रार्थीया के नाम खसरा नम्बर 2218 शा. न 2219/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर दर्ज होनी चाहिये उक्त अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 02 के नाम राजस्व कर्मचारियो की गलती से सहवन से प्रार्थीया के नाम खसरा नम्बर 2218 शा. न 2219/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर की जगह खसरा नम्बर 2218/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर दर्ज कर दी गई एवं इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 के नाम खसरा नम्बर 2218 शा. न 2219/2 की जगह खसरा नम्बर 2218/1 रकबा 0.3161 हैक्टेयर दर्ज कर दी गई जो उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 2573 के अनुसार काबिले दूरस्ती है। प्रार्थीया के नाम विभाजन में प्राप्त भूमि की खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज नही कर सहवन से खसरा नम्बर 2218/2 दर्ज कर दी गई एवं इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 के नाम 2218/1 दर्ज कर दी गई जो सहवन से राजस्व कर्मचारियो की गलती से की गई जिसे वास्तविक खातेदारी के अनुसार दुरस्त फरमाया जावें। प्रार्थीया उक्त गलत इन्द्राज के दुरस्ती बाबत अपने समस्त दस्तावेजात अप्रार्थी संख्या 01 के यंहा प्रस्तुत कर दुरस्ती किये जाने का निवेदन दिंनाक 15.08.2024 को किया तो अप्रार्थी संख्या 01 ने कहा कि उन्हे दुरस्ती का क्षेत्राधिकार नही है सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करे जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा दुरस्ती बाबत् इंकार करने पर प्रार्थना पत्र पेश करने का दिनाक 15.08.2024 को बाद कारण उत्पन्न हुआ है जो प्रार्थना पत्र अवधि अन्तर्गत प्रस्तुत है। विवादित भूमि वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी में स्थित होने से तथा सहवन से प्रार्थी की जगह गलत खसरा नम्बर से खातेदारी दर्ज होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 बाद सूचना उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 02 की तरफ से वकील दिलीप सिंह नरूका उपस्थित आये।

उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला–दूदू

लगातार.....3

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब नहीं देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब बन्द किया जाता हैं।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का करने बाबत निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट. दुरूस्ती इन्द्राज बाबत का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वाके ग्राम चकवाडा के खाता सं0 800 मे ख0न0 2218/2 मे रिकार्डेड खातेदार है। जबकि नामान्तकरण सं0 2573 दिनांक 01.06.2017 मे आपसी सहमति से तकासमा किया जाकर प्रार्थीया को ख0न0 2219/1 दर्ज किया गया है। जो कि मानवीय त्रुटि होना प्रतीत होता है। जिसे गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू मे स्थित आराजीयात खाता संख्या 800 के खसरा नम्बर 2218/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर के स्थान खसरा नम्बर 2218 शा. नं. 2219/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर तथा खाता सं0 799 के ख0न0 2218/1 रकबा 0.3161 है0 के स्थान पर 2218 शा.न. 2219/2 रकबा 0.3161 है0 दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/9/24

राकेश कुमार II
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू